भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1173

उत्तर देने की तारीख 11.02.2021

डिजिटल दस्तावेजों के लिए चेहरे से पहचान सुनिश्चित किया जाना

1173. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी वेबसाइट से डिजिटल दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए चेहरे से पहचान किए जाने की प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इतने सारे छात्रों के बायोमेट्रिक फेशियल डाटा एकत्रित करने और स्टोर करने से संबंधित गोपनीयता संबंधी वृहत शंकाओं के विषय में विचार किया है;

(ग) विश्व भर में चेहरे से पहचान करने की प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता संबंधी वृहत शंकाओं के बावजूद सरकार द्वारा समुचित डिजिटल अवसंरचना विकास को सुनिश्चित किए बिना ही इस दिशा में आगे बढ़ने के क्या कारण हैं;

(घ) सीबीएसई की वेबसाइट के लिए वर्तमान में प्रयोग की जा रही एन्क्रिप्शन तकनीक का ब्यौरा क्या है;

(ड.) वेबसाइट द्वारा स्टोर किए गए व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच रखने वाले संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी हाँ,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) छात्रों को डिजिटल अंकपत्र प्रदान करने हेतु बहुआयामी प्रमाणीकरण में से एक प्रमाणीकरण क्रियाविधि के रूप में वन-टू-वन फेस मैचिंग करने हेतु चेहरे की पहचान का उपयोग कर रहा है। रिपॉजिटरी में पहले से ही संरक्षित सीबीएसई प्रवेश पत्र पर उपलब्ध फोटो के साथ चेहरे का मिलान किया जाता है। सफल मिलान के पश्चात प्रमाणपत्र छात्रों को ई-मेल से भेज दिया जाता है। बायोमेट्रिक

फेशियल आंकड़ों का संग्रह अथवा भंडारण नहीं किया जाता; निजता संबंधी सरोकारों का समाधान किया जाता है। एप्लिकेशन का उपयोग निजी सहमति पर आधारित होता है। चेहरे की पहचान तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि स्वयं छात्र/छात्राओं के अलावा अन्य कोई भी उनके प्रमाणपत्र तक नहीं पहुँच सकते हैं और इस प्रकार यह छात्रों के डाटा की निजता भी सुनिश्चित करता है।

अंकपत्र, उत्तीर्ण प्रमाणपत्र आदि के रूप में डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों का डिजिलॉकर खाता अग्रिम रूप में खोला जा रहा है। इसे छात्रों के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजे गए क्रेडेंशियल्स द्वारा अथवा आधार ब्यौरा देकर एक्सैस किया जा सकता है। तथापि, विदेशी छात्र और बिना आधार संख्या वाले छात्र अपने दस्तावेज़/प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु डिजिलॉकर नहीं खोल सकते। ऐसे छात्रों के लिए,अपना डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए "फ़ेस मैचिंग" को एक अन्य विकल्प के रूप में प्रारंभ किया गया है।

ऐसी प्रणाली जो चेहरे की मिलान तकनीक का उपयोग करती है, को कोविड की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में से एक के रूप में तैयार किया गया है, जोकि मुख्यतः विदेशी छात्रों को उनके कॉलेज दाखिलों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान करता है। चेहरे के प्रमाणीकरण को उसी प्रणाली में दूसरे कारक प्रमाणीकरण के रूप में विदेशी छात्रों के लिए जोड़ा जाता है जब मोबाइल ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण विदेशी मोबाइल नंबर पर पूरा नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ड.): सीबीएसई ने सूचित किया है कि डाटाबेस में किसी भी प्रकार का फ़ेशियल इमेज डाटा संरक्षित नहीं किया जाता है क्योंकि प्रणाली इसे क्षणिक ढंग से मैचिंग के लिए उपयोग करता है। अतःफेशियल इमेज डाटा अधिगम्य नहीं है। अन्य रिजल्ट डाटा जो पहले से ही उपलब्ध है, के लिए सीबीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय,भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग को सिस्टम की एक्सेस प्रदान की जाती है। यह वेबसाइट टीएलएस 1.2 पर एक सुरक्षित एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है और इसे राष्ट्रीय डाटा केंद्र में होस्ट किया जाता है जोकि आईएसओ 27001 सुरक्षा प्रमाणित है।

***